

## कार्बन बॉर्डर टैक्स

### प्रलिस के लयि:

कार्बन बॉर्डर टैक्स, यूरोपयिन यूनयिन, COP-27, बेसकि, CBDR-RC, रयि डकिलेरेशन ।

### मेन्स के लयि:

कार्बन बॉर्डर टैक्स और संबंघति मुददे ।

## चर्चा में क्यौं?

हाल ही में भारत सहति वभिन्न देशों के संघ ने शर्म अल शेख, मसिर में **पार्टियों के सम्मेलन (COP)** के 27वें संस्करण में **यूरोपीय संघ (EU)** द्वारा प्रस्तावति कार्बन बॉर्डर टैक्स का संयुक्त रूप से वरिध कयि है ।

## कार्बन बॉर्डर टैक्स:

- कार्बन बॉर्डर टैक्स उत्पाद के उत्पादन से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर एक शुल्क है । यह कार्बन को कीमती बनाकर उत्सर्जन को हतोत्साहति करता है । व्यापार से संबंघति उपाय के रूप में यह उत्पादन और नरियात को प्रभावति करता है ।
- यह प्रस्ताव यूरोपीय आयोग के यूरोपीय ग्रीन डील का हसिसा है जो वर्ष 2050 तक यूरोप को पहला जलवायु-तटस्थ महाद्वीप बनाने का प्रयास करता है ।
- कार्बन बॉर्डर टैक्स यकीनन **राष्ट्रीय कार्बन टैक्स में एक सुधार है** ।
  - राष्ट्रीय कार्बन टैक्स एक ऐसा शुल्क है जसि सरकार देश के भीतर कसि भी उस कंपनी पर लगाती है जो जीवाश्म ईधन का उपयोग करती है ।

## कार्बन टैक्स लगाने का कारण:

- यूरोपीय संघ और जलवायु परविरतन शमन:** यूरोपीय संघ ने वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में कम से कम 55% की कटौती करने की घोषणा की है । अब तक इन स्तरों में 24% की गरिवट आई है ।
  - हालाँकि आयात से होने वाले उत्सर्जन का यूरोपीय संघ द्वारा CO2 उत्सर्जन में 20% योगदान है जसिमे और भी वृद्धि देखी जा रही है ।
  - इस प्रकार का कार्बन टैक्स अन्य देशों को GHG उत्सर्जन कम करने तथा यूरोपीय संघ के कार्बन पदचहिन को और कम करने के लयि प्रोत्साहति करेगा ।
- कार्बन लीकेज:** यूरोपीय संघ की **उत्सर्जन व्यापार प्रणाली** कुछ व्यवसायों के लयि उस क्षेत्र में संचालन को महँगा बनाती है ।
  - यूरोपीय संघ के अधिकारियों को डर है कयिे व्यवसाय उन देशों में अपना व्यवसाय स्थानांतरति करना पसंद कर सकते हैं जहाँ उत्सर्जन सीमा को लेकर वशिष सीमाएँ नहीं हैं ।
  - इसे 'कार्बन लीकेज' के रूप में जाना जाता है और इससे दुनयिा में कुल उत्सर्जन में वृद्धि होती है ।

## मुददे:

- 'बेसकि' (BASIC) देशों की प्रतिकरिया: '**BASIC**' देशों (बराज़ील, दकषणि अफ्रीका, भारत और चीन) के समूह ने एक संयुक्त बयान में यूरोपीय संघ के प्रस्ताव का वरिध करते हुए कहा कयि यह 'भेदभावपूर्ण' एवं समानता तथा '**समान परंतु वभिदति उततरदायतिवों और संबंघति कषमताओं**' (CBDR-RC) के सदिघांत के वरिद्ध है ।
  - ये सदिघांत स्वीकार करते हैं कयि कसि देश जलवायु परविरतन का मुकाबला करने हेतु वकिसशील और संवेदनशील देशों को वत्तितीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु उततरदायी हैं ।
- भारत पर प्रभाव:** यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारकि भागीदार है । यूरोपीय संघ, भारत नरिमति वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर भारतीय वस्तुओं को खरीदारों के लयि कम आकर्षक बना देगा जो मांग को कम कर सकता है ।

- यह कर बड़ी ग्रीनहाउस गैस फुटप्रिंट वाली कंपनियों के लिये नकिट भवषिय में गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करेगा।
- **‘रियो घोषणा’ के साथ असंगत:** पर्यावरण के लिये दुनिया भर में एक समान मानक स्थापित करने की यूरोपीय संघ की धारणा ‘रियो घोषणा’ के अनुच्छेद-12 में नहिंति वैश्विक सहमति के वरिद्ध है, जिसके मुताबकि, वकिसति देशों के लिये लागू मानकों को वकिसशील देशों पर लागू नहिं कया जा सकता है।
- **जलवायु-परिवर्तन व्यवस्था में परिवर्तन:** इन आयातों की ग्रीनहाउस सामग्री को आयात करने वाले देशों की ग्रीनहाउस गैस सूची में भी समायोजित करना होगा, जिसका अनविरय रूप से तात्परय है कजिीएचजी सूची को उत्पादन के आधार पर नहिं बल्क खिपत के आधार पर गनिा जाना चाहिये।
  - यह पूरे जलवायु परिवर्तन व्यवस्था को उलट देगी।
- **संरक्षणवादी नीति:** नीतिको संरक्षणवाद का प्रचछन्न रूप भी माना जा सकता है।
  - संरक्षणवाद सरकारी नीतियों को संदरभति करता है जो घरेलू उद्योगों की सहायता के लिये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतबिंधित करता है। ऐसी नीतियों को आमतौर पर घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लक्ष्य के साथ लागू कया जाता है।
  - इसमें जोखिम है कयिह एक संरक्षणवादी उपकरण बन जाता है, जो स्थानीय उद्योगों को तथाकथित ‘हरति संरक्षणवाद’ में वदिशी प्रतसिप्रधा से बचाता है।

## आगे की राह

- भारत यूरोपीय संघ की इस नीतिको लक्ष्य नहिं है, लक्ष्य रूस, चीन और तुर्की हैं जो कार्बन के बड़े उत्सर्जक हैं तथा यूरोपीय संघ को इस्पात एल्यूमीनियम के प्रमुख निर्यातक हैं।
- भारत के वपिकष में सबसे आगे होने का कोई कारण नहिं है। इसके बजाय उसे सीधे यूरोपीय संघ से बात करनी चाहिये और द्वपिकषीय रूप से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिये।
- सीमाओं पर आयातति सामानों पर शुल्क लगाने हेतु कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसा तंत्र स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रेरति कर सकता है।
  - लेकनि यदयिह नई तकनीकों और वतित की पर्याप्त सहायता के बिना होता है, तो यह वकिसशील देशों के लिये नुकसानदेह हो जाएगा।
- जहाँ तक भारत का संबंध है उसे इस कर के लागू होने से होने वाले फायदों और नुकसानों का आकलन करना चाहिये तथा द्वपिकषीय दृष्टिकोण के साथ यूरोपीय संघ से बात करनी चाहिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित में से कसिने अप्रैल, 2016 में अपने नागरिकों के लिये डेटा संरक्षण और गोपनीयता पर एक कानून को अपनाया, जसिे ‘सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन’ के रूप में जाना जाता है तथा 25 मई, 2018 से इसका कार्यान्वयन शुरू कया? (2019)

- ऑस्ट्रेलिया
- कनाडा
- यूरोपीय संघ
- संयुक्त राज्य अमेरिका

उत्तर: (C)

प्रश्न. व्यापक-आधारयुक्त व्यापार और निविश करार (Broad-based Trade and Investment Agreement- BTIA) कभी-कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से कसि एक के बीच बातचीत के संदरभ में दखिई पडता है? (2017)

- यूरोपीय संघ
- खाड़ी सहयोग परिषद
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
- शंघाई सहयोग संगठन

उत्तर: (A)

## स्रोत: द हिंदू